सहायक कंपनी की मेटीरियलिटी निर्धारण नीति
(सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015

वर्तमान में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की कोई सहायक कंपनी नहीं है। तथापि, हडको ने सेबी सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015 की अर्हता के अनुपालन में हडको की सहायक संस्था की मेटीरियलिटी निर्धारण नीति तैयार की है।

1. परिचय

इस नीति को हडको की 'सहायक कंपनी की मेटीरियलिटी निर्धारण नीति' कहा जाएगा। इस नीति को सेबी सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015 की अर्हता के अनुसार तैयार किया गया है।

2. उद्देश्य

यह नीति हडको की सहायक कंपनियों की मेटीरियलिटी निर्धारित करने के लिए मानदंड उपलब्ध कराती है।

3. सहायक कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार, किसी अन्य कंपनी के परिपेक्ष्य में 'सहायक कंपनी' अथवा 'सहायक' (अर्थात धारक कंपनी) का अर्थ ऐसी कंपनी से है जहां धारक कंपनी –

(1) निदेशक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखता है अथवा
(2) कुल शेयर पूंजी के आधे अंश से अधिक पर या तो स्वयं नियंत्रण रखती है या इसकी सहायक कंपनियों की एक या एक से अधिक के सहयोग से नियंत्रण रखती है।

बशर्ते धारक कंपनियों के यह श्रेणी अथवा श्रेणियां जैसा निश्चित किया जाए, के पास निश्चित की गई संख्या से अधिक सहायक कंपिनयां नहीं होंगी।

व्याख्या – इस खंड के प्रयोजन हेतु –

(क) एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी माना जाएगा, भले ही उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट नियंत्रण धारक कंपनी की अन्य सहायक कंपनी का हो।

(ख) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित माना जाएगा, यदि वह अन्य कंपनी अपने विवेकानुसार प्रदत्त शक्तियों के उपयोग द्वारा सभी या अधिकतर निदेशकों को नियुक्त कर सकती है या उन्हें निकाल सकती है।

(ग) ''कंपनी'' में कोई भी कॉर्पोरेट सम्मिलित है और

(घ) ''संस्तर'' का अर्थ धरक कंपनी के परिपेक्ष्य में इसकी सहायक अथवा सहायक कंपनियों से है।

4. सहायक कंपनियों की मेटीरियलिटी निर्धारित करने के मानदंड

हडको की सहायक कंपनी को ''मेटीरियल'' तभी माना जाएगा जब पूर्ववर्ती लेखावर्ष में संबंधित सहायक कंपनी की आय या नेट वर्थ हडको और उसकी सहायक कंपनियों की समेकित आय या नेटवर्थ से बीस प्रतिशत अधिक हो जाती है।

इसके बाद, हडको अपनी मेटीरियल सहायक कंपनी के शेयरों का निपटान नहीं करेगा जिससे इसकी शेयरहोल्डिंग 50 प्रतिशत से कम हो जाए (या तो स्वयं इसके अथवा इसकी अन्य सहायक कंपनी के मामले में) अथवा अपनी आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किए बिना सहायक कंपनी पर नियंत्रण का अधिकार खो बैठे, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इस तरह का प्रकटन न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था के अंतर्गत किया गया हो।

यही नहीं, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आधार पर मेटीरियल सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक राशि वाली परिसंपत्तियों की बिक्री, निपटान और लीज़ पर देने के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन लेना होगा, जब तक कि इनकी बिक्री/निपटान/लीज़ न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था के अंतर्गत न की गई हो।

5. प्रकटन

इस नीति का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में इसके लिए वेबलिंक भी उपलब्ध कराई जाएगी।

6. संशोधन अधिकार

सांविधिक उपबंधों/अन्य अर्हता आदि में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त नीतियों के किसी भी खंड में बदलाव/संशोधन/परिवर्तन/जोड़ने/हटाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया गया है।